

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 285/2017 वाद

हीरालाल पिता भेरा कुमावत, आयु 56 साल, निवासी कासोद दरवाजा, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़।

- वादीगण

//बनाम//

1. श्रीमती नम्रता कृपलानी पति महेश कुमार सिन्धी, उम्र 45 साल, निवासी मण्डी चौराहा, निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. शान्तिलाल पिता भेरा कुमावत, आयु वयस्क, निवासी अम्बा नगर निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा।

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88-53-188 रा.का.अधि.

निर्णय

दिनांक 02.12.2019

प्रकरण में वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड़ तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी एवं काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मौजा आक्या की खाता संख्या 60 एवं 61 की आराजीयात का बंटवारा पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार किया जाता है-

1- श्रीमती नम्रता पत्नी महेश कुमार सिन्धी, सा. निम्बाहेड़ा:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रुपये में
16	0.3600	1.89
12	0.1800	3.42

.....  
कुल किता 2 कुल रकबा 0.5400 हेक्टेयर कुल लगान 5.31 रुपये  
.....

2- श्री हीरालाल पिता भैरा कुमावत, सा. निम्बाहेड़ा के रहेगी-		
आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
11	0.0100	गे.मु. चाह
12	0.5900	11.21
64	0.0300	0.21

.....  
कुल किता 3 कुल रकबा 0.6300 हैक्टेयर कुल लगान 11.42 रूपये  
.....

3- श्री शान्तिलाल पिता भैरा कुमावत, सा. निम्बाहेड़ा के रहेगी:-		
आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
64	0.6100	4.27

.....  
कुल किता 1 कुल रकबा 0.6100 हैक्टेयर कुल लगान 4.27 रूपये  
.....

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन होने की स्थिति में रहन सम्बन्धित के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 02.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

